संख्या-05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

4. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

5. समस्त अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक : 20 सितम्बर, 2017

विषय- प्रदेश में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने तथा आवारा पशुओं के पुर्नवासन के लिए नागर निकायों में **"कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना"** के अन्तर्गत कान्हा गोशाला की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पशुओं तथा जनसामान्य को होने वाले नुकशान को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे पशुओं के पुर्नवासन हेतु **"कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना"** के नाम से एक योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की नागर निकायों में **कान्हा गोशाला** की स्थापना की जायेगी।

2- प्रदेश की नागर निकायों में **"कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना"** के अन्तर्गत **कान्हा गोशाला** की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जा रही है :-

(1) कान्हा गोशाला का निर्माण कराये जाने के लिए नागर निकाय के पास निर्विवादित भूमि होना आवश्यक है। यदि निकाय के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, तो निकाय क्षेत्र अथवा निकाय क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्रों में भूमि चिन्हित कर नागर निकाय को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का होगा।

(2) कान्हा गोशाला के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार पशुओं के रहने हेतु अलग-अलग शेड, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, पशुओं के लिए भूसा चारे को रखने की व्यवस्था, बायो गैस प्लान्ट, शेड के ऊपर सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट के माध्यम से पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था तथा एक आफिस एवं कार्मिकों के रहने के लिए स्थान परियोजना हेतु बनायी जाने वाली बाउन्ड्रीवाल के अन्तर्गत होना चाहिए। इस कार्य हेतु सम्बन्धित नागर निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(3) कान्हा गोशाला का संचालन स्वंयसेवी संस्थाओं, सरकारी उपक्रमों/विभागों प्रतिष्ठित फर्मो, नागर निकायों आदि से आवश्यक सहयोग लेकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा संचालित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

(4) कान्हा गोशाला में रखे गये पशुओं की देखभाल किये जाने हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था सम्बन्धित नागर निकाय/जिलाधिकारी के द्वारा की जायेगी। कान्हा गोशाला में रखे गये जानवरों की चिकित्सा/उपचार आदि की व्यवस्था सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/नागर निकाय के पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

(5) कान्हा गोशाला में रखे गये जानवरों के लिए चारे आदि का प्रबन्ध सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नागर निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं पशु प्रेमियों तथा पशुओं के पुनर्वासन आदि से सम्बन्धित कार्य करने वाली संस्थाओं यथा डिस्ट्रिक्ट्स सोसाइटी फार प्रीवेन्शन अगेन्सट् एनिमल क्रुएलिटी (S.P.C.A.) के माध्यम से किया जा सकेगा।

(6) कान्हा गोशाला में मरे हुए जानवरों का निस्तारण सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा जिलाधिकारी द्वारा निदर्ष्टि विभाग/संस्था के द्वारा किया जायेगा।

(7) इस योजना के अन्तर्गत अभिलेखों/लेखों का रख-रखाव एवं आडिट आदि कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित जनपद के नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी का होगा।

3- कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Manoj 20.9.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-05/2017/465/ (1) /नौ-8-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त/नियोजन/पशुधन /पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।